

# कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जनपद—हापुड़।

पत्रांक : ५१९-२८

दिनांक : २९.०४.१५

प्रबन्धक,

गोहित पब्लिक स्कूल

न्याजपुर खेड़ा, विकास क्षेत्र सिम्मावली

जनपद— हापुड़।

**विषय:**— निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजन हेतु उत्तर प्रदेश निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली, 2011 के नियम 11 के उपनियम (4) के अधीन विद्यालय के लिये मान्यता प्रभागपत्र।

प्रिय महोदय/ महोदया,

आपके आवेदन पत्र और इस के सम्बन्ध में विद्यालय के साथ पश्चात्वर्ती पत्राचार/निरीक्षण के सन्दर्भ में, मैं गोहित पब्लिक स्कूल न्याजपुर खेड़ा, को कक्षा नववीं से कक्षा 8 तक (अंग्रेजी माध्यम) हेतु दिनांक 29.04.2015 से दिनांक 28.04.2018 तीन वर्षों की अवधि के लिए औपचंडिक गान्यता का प्रदान किया जाना सम्प्रेषित करता हूँ—

1. मान्यता के लिए स्थीरकृति विस्तारणीय नहीं है और किसी भी रूप में कक्षा 9 के बाद मान्यता/ सम्बद्धता प्रदान करने के दायित्व को विवक्षित नहीं करता है।
2. विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (संलग्नक—एक) और उत्तर प्रदेश निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली, 2011 (संलग्नक—दो) के उपबंधों का पालन करेगा।
3. विद्यालय कक्षा एक में, कक्षा की सदस्य संख्या के 25 प्रतिशत तक पास—पड़ोस के कमजोर वर्ग और साधनहीन समूह के बालकों को प्रवेश देगा और इनकी शिक्षा पूर्ण होने तक निःशुल्क और अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा उपलब्ध करायेगा, परन्तु अंग्रेतर यह कि पूर्व प्रारम्भिक कक्षाओं के मामले में भी इस सन्नियम का पालन किया जायेगा।
4. प्रस्तर तीन में सन्दर्भित बालकों के लिए विद्यालय यदि अधिनियम की धारा 12(2) के अधीन आच्छादित हो तो विद्यालय को तदनुसार प्रतिपूर्ति दी जायेगी। ऐसी प्रतिपूर्तियों को प्राप्त करने के लिए विद्यालय अलग रो वैक खाता उपलब्ध करायेगा।
5. समिति/ विद्यालय कोई प्रतिव्यक्ति शुल्क संभ्रह नहीं करेगा और बालक अवया उसके शास्ता या अग्रिमावक या किसी जॉच प्रक्रिया के अध्याधीन नहीं करेगा।
6. विद्यालय प्रवेश से वंचित नहीं करेगा—
  - (अ) बालक का आयु—प्रमाण न होने पर,
  - (ब) धर्म, जाति अथवा नस्ल, जन्म स्थान अथवा उनमें से किसी आधार पर।
7. विद्यालय निम्नलिखित बातों को सुनिश्चित करेगा :
  - (एक) किसी विद्यालय में प्रारम्भिक शिक्षा पूर्ण होने तक प्रवेश दिये गये किसी बालक को किसी कक्षा में नहीं रोका रखा जायेगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा,
  - (दो) किसी भी बालक को शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्पीड़न का भागी नहीं बनाया जायेगा,
  - (तीन) किसी भी बालक से प्रारम्भिक शिक्षा पूर्ण होने तक किसी बोर्ड की परीक्षा उत्तीर्ण करना अपेक्षित नहीं है,
  - (चार) प्रत्येक बालक को प्रारम्भिक शिक्षा पूर्ण हाने पर नियम 23 के अन्तर्गत निर्धारण के अनुसार एक प्रमाणपत्र निर्गत किया जायेगा,
  - (पांच) अधिनियम के उपबंध के अनुसार निःशक्तता ग्रस्त/ विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों का अन्तर्वेशन,
  - (छ) अध्यापक, अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का निर्वहन करता है, और
  - (सात) अध्यापक निजी अध्यापन किया—कलापों के निमित्त स्वयं को नहीं लगायेगा।
8. विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा निर्धारित पाठ्यवर्ष के आधार पर पाठ्यक्रम का अनुसरण करेगा।
9. विद्यालय छात्रों का नामांकन विद्यालय में उपलब्ध सुविधाओं के अनुपात में करेगा जैसा कि अधिनियम की धारा 19 में विनिर्दिष्ट किया गया है।
10. विद्यालय परिसर के भीतर या विद्यालय के बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त कक्षायें नहीं बलाई जायेंगी।
11. विद्यालय सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम—1860 (अधिनियम संख्या—21 सन् 1860) के अधीन पंजीकृत समिति या तदसमय प्रवरित किसी विधि के अधीन गठित किसी सार्वजनिक न्यास द्वारा संचालित किया जाता है।

५०